ई–मेल

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
स्वास्थ्य भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

निदेशक,
नगर विकास विभाग
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक :–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2021–22/8978 लखनऊ/दिनांक–02-08-2021

विषयः–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत तम्बाकू नियंत्रण हेतु नगर विकास विभाग के अधीन कार्यरत नगर निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों के वर्चुअल उन्मुखीकरण/प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि प्रदेश में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 के नियमों/उपनियमों का अनुपालन कराया जा रहा है, जिसमें आपके विभाग के साथ ही साथ अन्य विभागों–पुलिस, शिक्षा, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग एवं अन्य विभागों से उपरोक्त कार्यक्रम के सफल संचालन में सहयोग अपेक्षित है।

उक्त के क्रम में कृपया अपर मुख्य सचिव, नगर विकास अनुभाग–9, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–1080/नौ–9–21–121ज/20, दिनांक 08 जून, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न), जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम–1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–2 सन्–1950) की धारा–437, धारा–438 की उपधारा (1) के खण्ड–(घ), धारा–452 और धारा–541 के खण्ड (20), (41) और (49) में प्रदत्त शक्तियों के अर्न्तगत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और वाणिज्य कर उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनिमय) अधिनियम–2003 (सी0ओ0टी0पी0ए0–2003) के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त जनपदों को नगर निगम के सभी क्षेत्रों में Vendor Licensing की व्यवस्था लागू किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देशों के अनुपालन एवं राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु आपके अधीनस्थ कार्यरत नगर निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों का उन्मुखीकरण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। जिससे प्रदेश के समस्त नगर निगम क्षेत्र में तम्बाकू उत्पाद विक्रेताओं हेतु वेण्डर लाइसेन्सिंग प्रणाली लागू करने व समस्त कार्यालयों को तम्बाकू मुक्त बनाये जाने में सहयोग प्राप्त होगा, जिस हेतु भारत सरकार स्तर से प्रदत्त गाइडलाइन एवं दिशा–निर्देशों के अनुसार अधोहस्ताक्षरी के स्तर पर ऑनलाइन उन्मुखीकरण/प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें आपके अधीनस्थ कार्यरत नगर निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रतिभाग किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त एक दिवसीय वर्चुअल उन्मुखीकरण/प्रशिक्षण कार्यशाला के आयोजन हेतु आप अपने स्तर से माह–अगस्त में तिथि निर्धारण करते हुए अधोहस्ताक्षरी को अगवत कराने का कष्ट करे, जिससे कि उक्त वर्चुअल उन्मुखीकरण/प्रशिक्षण कार्यशाला के आयोजन में आवश्यक तकनीकी सहयोग अधोहस्ताक्षरी के स्तर से प्रदान किया जा सके।

भवदीय

02/08/2021

निदेशक (स्वास्थ्य)

पत्रांक – राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2021-22/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
2. उप महाप्रबन्धक, एन0सी0डी0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ।
3. स्टाफ ऑफिसर, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0।
4. अधिशासी निदेशक, यू0पी0वी0एच0ए0, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित है कि वह उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में समन्वय स्थापित करते हुए तकनीकी सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

संयुक्त निदेशक(स्वास्थ्य)

ई–मेल

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
स्वास्थ्य भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

निदेशक,
नगर विकास विभाग
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक :–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2021–22/ लखनऊ/दिनांक–02-08-2021

विषयः–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत तम्बाकू नियंत्रण हेतु नगर विकास विभाग के अधीन कार्यरत नगर निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों के वर्चुअल उन्मुखीकरण/प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि प्रदेश में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 के नियमों/उपनियमों का अनुपालन कराया जा रहा है, जिसमें आपके विभाग के साथ ही साथ अन्य विभागों–पुलिस, शिक्षा, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग एवं अन्य विभागों से उपरोक्त कार्यक्रम के सफल संचालन में सहयोग अपेक्षित है।

उक्त के क्रम में कृपया अपर मुख्य सचिव, नगर विकास अनुभाग–9, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–1080/नौ–9–21–121ज/20, दिनांक 08 जून, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न), जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम–1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–2 सन्–1950) की धारा–437, धारा–438 की उपधारा (1) के खण्ड–(घ), धारा–452 और धारा–541 के खण्ड (20), (41) और (49) में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और वाणिज्य कर उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनिमय) अधिनियम–2003 (सी0ओ0टी0पी0ए0–2003) के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त जनपदों को नगर निगम के सभी क्षेत्रों में Vendor Licensing की व्यवस्था लागू किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देशों के अनुपालन एवं राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु आपके अधीनस्थ कार्यरत नगर निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों का उन्मुखीकरण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। जिससे प्रदेश के समस्त नगर निगम क्षेत्र में तम्बाकू उत्पाद विक्रेताओं हेतु वेण्डर लाइसेन्सिंग प्रणाली लागू करने व समस्त कार्यालयों को तम्बाकू मुक्त बनाये जाने में सहयोग प्राप्त होगा, जिस हेतु भारत सरकार स्तर से प्रदत्त गाइडलाइन एवं दिशा–निर्देशों के अनुसार अधोहस्ताक्षरी के स्तर पर ऑनलाइन उन्मुखीकरण/प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें आपके अधीनस्थ कार्यरत नगर निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रतिभाग किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त एक दिवसीय वर्चुअल उन्मुखीकरण/प्रशिक्षण कार्यशाला के आयोजन हेतु आप अपने स्तर से माह–अगस्त में तिथि निर्धारण करते हुए अधोहस्ताक्षरी को अगवत कराने का कष्ट करे, जिससे कि उक्त वर्चुअल उन्मुखीकरण/प्रशिक्षण कार्यशाला के आयोजन में आवश्यक तकनीकी सहयोग अधोहस्ताक्षरी के स्तर से प्रदान किया जा सके।

भवदीय

निदेशक (स्वास्थ्य)

पत्रांक– राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2021-22/8979-82

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
2. उप महाप्रबन्धक, एन0सी0डी0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ।
3. स्टाफ ऑफिसर, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0।
4. अधिशासी निदेशक, यू0पी0वी0एच0ए0, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित है कि वह उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में समन्वय स्थापित करते हुए तकनीकी सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

संयुक्त निदेशक(स्वास्थ्य)